an>

Title: Need to reserve four lignite blocks for Gujarat Mineral Development Corporation Limited.

**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चार लिग्नाइट ब्लाक राज्य सरकार के पीएसयू गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को आरक्षित रखने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माइंस एंड मिनरल (डैवलपमैन्ट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 की धारा 17(ए)(2) तथा 2 (ए) के अंतर्गत जो चार लिग्नाइट ब्लाक्स हैं, वे लखपत पूर्णराजपुर 3310 हैक्टेअर, दमलाई पडाल 1400 हैक्टेअर, धला बोगान 1600 हैक्टेअर और सोडागाम, पिठोर, तूना 3015 हैक्टेअर को राज्य सरकार के पीएसयू गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड को आरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के उद्योग तथा खनिज विभाग ने पत्र दिनांक 16.02.2015 के द्वारा केन्द्र सरकार के कोल मंत्रालय को विनती की है। लेकिन इस पर अभी तक आगे कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इन चार लिग्नाइट ब्लाकों को गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड के लिए आरक्षित रखने की मांग जो लंबित है, उसे तुरंत ही मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Jaishreeben Patel.